an>

Title: Regarding implementation of guidelines framed by Hon'ble Supreme Court in 1985 for street vendors.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, आपने चौथी बार जीरो ऑवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं। पूरे देश भर में साढ़े पांच करोड़, मुंबई शहर में फेरी वाले और दिल्ली में ठेले वाले हैं, जो अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में काम करते हैं, उनकी आवाज को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि इसके बारे में एक गाइडलाइन बनाइए, हॉकिंग जोन बनाइए। 1985 से लेकर 1999 तक कोई काम इस पर नहीं हुआ। अटल जी की जब सरकार आई, तो उन्होंने इसके लिए कायदा बनाया। साहिब सिंह वर्मा जी जब श्रम मंत्री थे, तो उन्होंने इसको अंत तक ले जाने का प्रयास किया। राम नाईक जी के नेतृत्व में हमने मुंबई शहर में उनका अभिनन्दन भी किया। उसके बाद सरकार बदल गई, फिर काम रुक गया, कोई काम नहीं हुआ। आज 33 साल पूरे हो गए। वर्ष 1985 में सुप्रीम ने जो कहा था, वह तो अमल में नहीं आया, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी फिर वापस कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने एक नया आदेश निकाला कि रेलवे स्टेशन के अगल-बगल 150 मीटर की रेडियस में कोई फेरी वाले, ठेले वाले नहीं बैठेंगे। वर्ष 1985 के आदेश का अभी तक अमल नहीं हुआ, लेकिन इस आदेश को महानगर पालिका ने अमल में लाते हुए, महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा मशीन लाकर भाजी-पालक, फल-फ्रूट को कुचला जा रहा है।

यह बहुत ही गंभीर बात है इसलिए हम फेरी वालों के ब्लैंकेट समर्थन में नहीं हैं, कोई रोड पर नहीं बैठे, जंक्शन पर नहीं बैठे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1985 में जो आदेश दिया था, उस आदेश को अमल में लाया जाए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।